प्रादेशिक समाचार
03.12.2024 (दोपहर–1455 बजे)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चंडीगढ में तीन नये अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पहली जुलाई से तीन नए कानून–भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देशभर में लागू किए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है।

****

हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच विचार मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस आज अपने मंत्रियों के नाम तय कर सकती है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जायेगा। पार्टी के केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन होते ही राज्य में विकास की गति तेज होगी।

****

झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 8 नवंबर को पिछली सुनवाई के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वह फैक्ट फाइंडिग कमेटी के सदस्यों का नाम सुझाए।

****

आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस मौके पर झारखंड समेत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं।

****

महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ रही है। नई दिल्ली में एक संववाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केन्द्रित विकास हासिल करना है।

****

तीन नये अपराध कानूनों को लेकर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इन कानूनों के जरिये सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध आपराधिक मामलों में अपराधियों को सिर्फ सजा देने के बजाय पीडितों को न्याय प्रदान करना है।

****

चतरा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल की जा रही है।

**********समाप्त**********